न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 199/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/254**

1. रजवन्त कौर पत्नी गुरजीत सिह जाति जटसिख निवासी चक 34 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राज.
2. नवजोत सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 34 पी 5 तहसील रायसिंहनगर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 04.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 26.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि के संबंध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नियमन का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी उप तहसीलदार राजस्व समेजा कोठी द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 13.11.2024 को तावान का नोटिस व बेदखली का आदेश दिया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उप तहसीलदार समेजा कोठी के उक्त आदेश दिनांक 13.11.2024 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ ने उक्त अपील को अपने आदेश दिंनाक 26.12.2024 द्वारा एडमिशन स्तर पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 26.12.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नियमन का प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रायसिंहनगर के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी उप तहसीलदार राजस्व समेजा कोठी द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 13.11.2024 को तावान का नोटिस व बेदखली का आदेश दिया गया। अपीलांट ने अपनी अपील मीमों के मद संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्हे आदेश दिनांक 13.11.2024 की नकल मिल नही रही है इसलिए डिस्पेन्स विद करवाने का अनुरोध किया। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की तरफ गौर किए बगैर आदेश पारित किया है। वास्तव में दिनांक 13.11.2024 को उप तहसीलदार द्वारा अपीलांट के खिलाफ की गई पत्रावली तहसील में उपलब्ध ही नही है। अपीलांट द्वारा अथक प्रयास करने के बाद भी अपीलांट को नकल नही मिल सकी इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 13.11.2024 की नकल प्रस्तुत नही कर सकें। दिनांक 01.09.2025 को उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा अपीलांट का नकल का प्रार्थना इस नोट के साथ खारिज किया गया है कि उप तहसीलदार कार्यालय से अपीलांट के विरूद्ध धारा 22 की कोई पत्रावली संधारित ही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष डिसपेन्सविद करने का निवेदन किया। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के कथनों पर गौर किए वगैर अपील खारिज की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई उसमें अपीलाधीन आदेश की प्रति प्रस्तुत ही नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को दिनांक 28.11.2024 को कमीपूर्ति में रखी गई थी परन्तु अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की दिनांक तक अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्रस्तुत नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद भी प्रस्तुत नही करने के आधार पर खारिज की, जो नियमानुसार उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावें और अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के समक्ष उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा नोटिस दिनांक 13.11.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष जो प्रथम अपील प्रस्तुत की गई वह बिना अपीलाधीन आदेश की प्रति के, डिस्पेन्सविद करने का निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ ने प्रकरण में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने से अपीलाधीन निर्णय होने की दिनांक तक निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने का अवसर दिया था परन्तु अपीलांट ने निर्णय की प्रति प्रस्तुत नही की। पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है कि उप तहसीलदार(राजस्व) समेजा कोठी ने अपीलांट के नकल प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट करते हुए बताया है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित चक 34 पीएस के मुरब्बा नं. 45 के संबंधित फसल रबि 2024 की कोई भी पत्रावली धारा 22 की विचाराधीन नही है ना ही प्रार्थना–पत्र में वर्णित दिनांक 13.11.2024 को इस कार्यालय द्वारा प्रार्थीया के नाम नोटिस जारी किया गया है, कार्यालय हाजा में संधारित रिकॉर्ड के बिना नकल दिया जाना संभव नही है। इस आधार पर अपीलांट का नकल प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार समेजा कोठी ने खारिज कर दिया। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उप तहसीलदार समेजा कोठी के जिस आलौच्य आदेश के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई वह आदेश उप तहसीलदार समेजा कोठी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट को जारी की नही किया गया है और ना ही कोई धारा 22 से संबंधित कोई पत्रावली विचाराधीन है। अतः उप तहसीलदार समेजा कोठी का अपीलाधीन आदेश अस्तित्व में नही होने पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर